राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग, जयपुर

क्रमांकः एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2015/ दिनांकः 08.04.2015

1. **समस्त उपखण्ड अधिकारी**
2. **समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति**
3. **समस्त तहसीलदार**

विषयः– ई–मित्र कियोस्कों पर किये जा रहे भामाशाह नामांकनों के सत्यापन हेतु।
सन्दर्भः– परिपत्र–8 पत्र दिनांक 23.12.14, समसंख्यक पत्र दिनांक 27.12.14 एंव 23.02.2015

महोदय,

जैसा कि सन्दर्भित परिपत्र व पत्र द्वारा ई–मित्र कियोस्कों पर किये जा रहे भामाशाह नामांकनों के सत्यापन के संबंध में विस्तृत निर्देश दिए गए थे कि परिवार के सभी सदस्यों के नामांकन उपरान्त डाटा का सत्यापन संबंधित तहसीलदार द्वारा संबंधित पटवारी/ग्राम सेवक/अन्य कार्मिक के सहयोग से 10 दिवस की अवधि में सुनिश्चित किया जाएगा, परन्तु कतिपय ब्लॉकों में सत्यापन कार्य नहीं किया जा रहा है। जिससे भामाशाह कार्ड के मुद्रण का कार्य समय पर नहीं हो पा रहा है।

यदि प्रथम सत्यापक द्वारा ई–मित्र कियोस्कों पर किये जा रहे भामाशाह नामांकनों के सत्यापन 10 दिवस की अवधि में नहीं किया जाता है तो प्रथम सत्यापन की कार्यवाही को पूर्ण मानते हुए द्वितीय सत्यापक द्वारा पत्र क्रमांकः एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/ दिनांकः 16.01.2015 अनुसार पीडीएफ का प्रिंट लेकर 7 दिवस में जनापत्ति प्राप्त कर द्वितीय सत्यापन करना होगा। यदि द्वितीय सत्यापक द्वारा 10 दिवस की अवधि में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर सत्यापन कार्य नहीं किया जाता है तो द्वितीय सत्यापन की प्रक्रिया को पूर्ण मानते हुए पीडीएफ भामाशाह कार्ड मुद्रण हेतु प्रेषित कर दिये जाएंगे। यदि इस प्रक्रिया के बाद भी भामाशाह कार्ड में त्रुटि रहती है तो उसके लिए संबंधित प्रथम व द्वितीय सत्यापक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें।

भवदीय

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव

क्रमांकः एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2015/ दिनांकः 08.04.2015

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैः

1. समस्त जिला कलक्टर्स.....................................
2. उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग.................................
3. ए.सी.पी.(उपनिदेशक), सूचना प्रौ. एवं संचार विभाग, जिला....................

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग